# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

**पंचम सत्र**

**समाचार भाग-1**

**संख्याः 47**

**सोमवार, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940(शक्)**

## सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

**समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।**

## 1. प्रश्नोत्तर

### (I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 888 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1502, 1503 तथा 1505 से 1510 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1504 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1511 से 1537 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

### (II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 431 से 464 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

## 3. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (पांचवा संशोधन) विनियमन, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/419 दिनांक 05.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.09.2018 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/H (1)25/2017 दिनांक 16.10.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.10.2018 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (छत पर सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नेट मीटरिंग पर आधारित) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/H(1)-11/2015 दिनांक 06.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.11.2018 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (हाइड्रो जेनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्त) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/F(1)-2/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/F(1)-3/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ और रिटेल सप्लाई टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/F(1)-1/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा शुल्क और शुल्क का संग्रह) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःHPERC/F(1)-4/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन) (पांचवा संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/438 दिनांक 27.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.11.2018 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश बिजली आपूर्ति कोड (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/438-आपूर्ति कोड दिनांक 03.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.12.2018 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (नियम और शर्तों के निर्धारण के लिए व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति शुल्क) विनियम, 2011 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/F(1)-1/2018 दिनांक 29.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.01.2019 को प्रकाशित;

(xi) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) (नौवां संशोधन) विनियमन, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Secy/151 दिनांक 04.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित; और

(xii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से पीढ़ी का संवर्धन और शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्त) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित ।

**(i) से (xii) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)**

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री (प्राधिकृत)** ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियमन एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

# 4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 144वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 247वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 71वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 353वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का तृतीय प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपःस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सत्रों के दौरान उपःस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

## 5. सांविधिक इकाई हेतु मनोनयन

**श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 4(1) की उपधारा ॥(एच) के प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में तीन वर्ष की अवधि के लिएए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

**प्रस्ताव स्वीकार।**

## 6. नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

सर्वश्री सुरेश कुमार कश्यप, जवाहर ठाकुर, इन्द्र दत्त लखनपाल, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु तथा पवन नैय्यर की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

(**उत्तर की प्रति संबंधित माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई।**)

## 7. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

**मांग संख्या: 8** पर **श्री राकेश सिंघा** द्वारा चर्चा जारी:-

**माननीय शिक्षा मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री वीरभद्र सिंह, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्रीमती आशा कुमारी तथा श्री नंद लाल ने स्पष्टीकरण मांगें।

**माननीय शिक्षा मंत्री** ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

**मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।**

**01.05 बजे अप0 सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अप0 तक स्थगित हुई।**

**02.20 बजे अप0 सदन की बैठक डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**

**मांग संख्याः 30** (विविध सामान्य सेवाएं)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 30 (विविध सामान्य सेवाएं) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 91,08,97,000/- और 41,04,04,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

**मांग संख्याः 30** पर श्री राम लाल ठाकुर तथा श्री अनिरूद्ध सिंह की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री राम लाल ठाकुर
2. श्री अनिरूद्ध सिंह

**श्री राम लाल ठाकुर** ने स्पष्टीकरण मांगा।

**माननीय वन मंत्री** ने स्पष्टीकरण दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

## मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

**श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य** ने नियम-62 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले में नाथपा के पास नेशनल हाईवे-5 पर लगातार हो रहे भू-स्खलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाने संबंधी विषय रखने की माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी।

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री जगत सिंह** नेगी ने विषय रखा।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने उत्तर दिया।

**मांग संख्याः 26** (पर्यटन और नागर विमानन)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 26 (पर्यटन और नागर विमानन) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 69,20,36,000/-और 57,79,00,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

**मांग संख्याः 26** पर श्री अनिरूद्ध सिंह तथा श्री राकेश सिंघा की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री अनिरूद्ध सिंह

**श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य** द्वारा अपनी चर्चा को लंबा खींचने पर जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने 04.00 बजे अपराह्न लगने वाले गिलोटिन की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तो कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

**माननीय मुख्य मंत्री** ने बहिर्गमन की भर्त्सना की।

2. श्री राकेश सिंघा

समयाभाव के कारण **माननीय मुख्य मंत्री** ने उत्तर की प्रति सदन के पटल पर रखी।

**<u>04.00 बजे अपराह्न गिलोटिन लगाया गया।</u>**

**मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 पूर्ण रूप से पारित हुईं।**

## 8. <u>विधायी कार्य</u>

### (I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अनुमति दी गई।**

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

### (II) विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

**श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3)" को पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकार।**

**"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3)" पारित हुआ।**

# सत्र समापन पर उद्‌गार

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत के उद्‌गार (संक्षिप्त ब्यौरा) -

"माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा यह बजट सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके द्वारा इस माननीय सदन में बहुत ही सार्थक विषयों पर चर्चा हुई। ……. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का हमें थोड़ा खेद जरूर है कि अब की बार का बजट सत्र ज्यादा लम्बा नहीं हुआ लेकिन यह इतना छोटा भी नहीं है जितना दूसरे राज्यों में हुआ करता है।……. इस बजट सत्र में 13 सीटिंग्ज़ हुईं। महत्वपूर्ण बिल भी पारित हुए। इसमें संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया।……. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे सत्र के संचालन के लिए विशेष तौर से मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, अपने स्वभाव के अनुरूप इस माननीय सदन का बेहतरीन ढंग से संचालन किया; गुस्सा नहीं किया जो कि आपकी खासियत भी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं…….इनको भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय का भी मैं धन्यवाद करता हूं।……इनका जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं सचिव, विधान सभा और इनकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।……. मैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं।…… इस विधान सभा की सारी कार्यवाही की कवरेज को जिस प्रकार से स्थान व सम्मान दिया, वह चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।"

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष के उद्‌गार (संक्षिप्त ब्यौरा) -

"माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्र समापन की ओर जा रहा है। …..देश में लोक सभा चुनावों के मद्देनज़र यह सत्र छोटा हुआ है और इसमें केवल 13 सीटिंग्ज हुई हैं। छोटा सत्र रहने के बावजूद भी इसमें वह सब हुआ है जो बिजनस के लिए जरूरी था।…… माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने यह साबित किया है कि हम विधान सभा के अंदर काम-काज में विश्वास रखते हैं और काम हुआ है।……. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो गरिमा राज्यपाल महोदय के प्रति होनी चाहिए, वह हमने रखी हैं। माननीय अध्यक्ष के साथ सैशन में जो गरिमा रखी जानी

चाहिए, वह हमने रखी हैं।.....माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस माननीय सदन का संचालन किया और आपने मुश्किल घड़ी में भी संयम नहीं खोया।.....साथ ही मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के विधायकगण और खासतौर पर माननीय श्री राकेश सिंघा, जो सरकार की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, इन सबका धन्यवाद भी करता हूं।"

## माननीय अध्यक्ष के उद्‌गार -

"बजट सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है। ऐसा कहा गया कि यह सत्र छोटा रहा, परंतु इस सत्र में जो काम हुआ वह लंबे सत्र जितना ही हुआ है। इस सत्र में कुल 13 बैठकें आयोजित की गईं और इन बैठकों की कार्यवाही 56.5 घंटे तक चली। इस सत्र में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रस्तुत हुआ जिसमें 33 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इस अभिभाषण के ऊपर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 1.45 घंटे तक उत्तर दिया गया। बजट प्रस्तुत हुआ, अनुपूरक बजट भी पास हुआ और जो बजट पास हुआ उसमें 36 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। इस बजट की चर्चा 10.1 घंटे तक चली और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1.20 घंटे तक इसका उत्तर दिया। छः अनुदान मांगों के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमें अनके माननीय सदस्यों ने भाग लिया तथा इसका उत्तर माननीय मंत्रिगणों द्वारा दिया गया। इस छोटे-से सत्र में 436 तारांकित तथा 196 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सरकार की ओर से आए। यहां अनेक प्रश्न अनुपूरक प्रश्नों के रूप में भी पूछे गए। गैर-सरकारी संकल्प में 6 माननीय सदस्यों के संकल्प आए जिन पर चर्चा हुई और बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने एक संकल्प स्वीकार भी किया जिसे संकल्प के रूप में मान्यता दी गई। इस सत्र में 6 विधेयक पारित हुए और नियम-324 के अंतर्गत केवल 6 विषय आए और वे प्रस्तुत किए गए। सभा की समितियों द्वारा 35 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। मेरा अभिप्रायः यह है कि सदन में और बजट सत्र में जो कार्यवाही पूर्ण होती है, वह हुई है और इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जोकि इस सदन के नेता है। इन्होंने बड़े धैर्य के साथ बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। विभिन्न प्रकार के जो विषय यहां आए, उनका उत्तर बहुत ही अच्छी तरह दिया गया।

मैं माननीय मुकेश जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सदन के संचालन में अहम् भूमिका निभाई और प्रश्नों तथा बाकी विषयों को ठीक से प्रतिपादित किया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य मंत्रिगण का भी मुझे बहुत आभार व्यक्त करना है। जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने-अपने विषयों को इस

सदन के माध्यम से जनता और सरकार तक पहुंचाया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय का भी मुझे धन्यवाद करना है। मैं अस्वस्थता के कारण 4 दिन तक सदन से बाहर रहा। इन्होंने पूर्ण रूप से सदन का संचालन किया; इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही, जो सभापति महोदय हैं, उनका भी समय सदन के लिए मिला; उनका भी मुझे धन्यवाद करना है।

हमारा विधान सभा का सचिवालय बहुत मेहनत के साथ एक-एक विषय को बहुत अच्छी तरह से तैयार करने का भरपूर प्रयास करता है। कई माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न मुझसे उठाए और हमारे सचिवालय ने 10 मिनट के भीतर उन प्रश्नों के व्याख्यान माननीय सदस्यों को प्रस्तुत किए, वस्तुस्थिति से ब्लैक एण्ड व्हाइट में अवगत करवाया और नियमों के अनुरूप कार्य-संचालन किया। इस सचिवालय द्वारा जितने भी प्रश्न और विषय राज्य सचिवालय को; मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों व अन्य अधिकारियों को प्रेषित किए गए, उनके उत्तर उनसे समय पर मिले; उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के साथियों ने लंबे समय तक बैठ कर सदन की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाया, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

कश्मीर की घटना हुई। उस पर इस सदन में विस्तार से चर्चा हुई। पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों ने उसकी भर्त्सना की और भारत सरकार के साथ खड़े होते हुए पाकिस्तान को चुनौती भी दी। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान आज यदि जिंदा है वह केवल जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसके कारण जिंदा है। हमने कभी किसी की सीमा का अतिक्रमण करने का विचार नहीं किया। भारत विश्वगुरु रहा है। वह वैचारिक रूप से रहा है; आध्यात्मिक रूप से रहा है परन्तु किसी की सीमाओं का अतिक्रमण करने का हमारा विचार नहीं रहा। जब श्रीराम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और श्री लक्ष्मण जी ने कहा - 'भैया यहीं पर रहते हैं', तो श्रीराम ने कहा - **जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी;** यह बात कह कर आयोध्या के लिए प्रस्थान किया।

एक कवि ने जो शब्द लिखे हैं वह उसी के ऊपर हैं -

"न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है,
किसी के स्वर्ण पर हमने न कभी अधिकार चाहा है,
मगर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे -
लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे ।"

माननीय सदस्यगण, बजट सत्र की समाप्ति होने वाली है। इसके बाद हम मानसून सत्र में पुनः मिलेंगे। मानसून सत्र इस बार लम्बा होगा और शीतकालीन सत्र भी इस बार लंबा होगा क्योंकि हमें 35 बैठकें पूरी करनी है जबकि अभी 13 ही बैठकें हुई हैं।

इसके पहले कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करू, मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय गीत के लिए सभी माननीय सदस्य व उपस्थित जन अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

**(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)**

**(04.45 बजे सायं सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)**

---